न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 14/67

1. भंवर लाल पुत्र मन्ना जाति चमार ।
2. फूल चन्द पुत्र मन्ना जाति चमार निवासीगण ग्राम रंगतलाब हाल सोगरिया (छोटा) तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

बनाम

1. रामनाथ पुत्र गणपत जाति चमार निवासी छोटा सोगरिया ।
2. चुन्नी लाल पुत्र रामचन्द्र जाति चमार ।
3. ओम प्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति चमार निवासीगण छोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. मथुरा लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   - 4/1. सत्यनारायण पुत्र स्व0 मथुरा लाल ।
   - 4/2. घींसी बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल ।
   - 4/3. मढी बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल ।
   - 4/4. कान्ति बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल ।
   - 4/5. कंचन बाई उर्फ भंवरी बेवा स्व0 मथुरा लाल ।
   - 4/6. मोहनी बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल ।
   - 4/7. विमला बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल जाति धाकड निवासीगण रंगतलाब उर्फ काला तलाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. रामकरण पुत्र गोपीलाल जाति माली निवासी ग्राम अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. नाथू लाल पुत्र गोपाल जाति माली निवासी अर्जुनपुरा ।
7. सुखदेव पुत्र गोपाल जाति माली निवासी अर्जुनपुरा ।
8. रामकरण पुत्र गोपाल जाति माली निवासी अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. मोती लाल पुत्र मन्ना जाति चमार निवासी ग्राम रंगतलाब हाल छोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा (नाग तर्क) ।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री भगवती बल्लभ शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र सिंह राजावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 13.11.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.02.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89, 92 (ए) एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रंगतलाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण कम 1 से 3 के पिता की पुश्तैनी आराजी कुल 02 किता की 39 बीघा 02 बिस्वा थी । जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी कम 01 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी कम 2 से 3 का 1/3 हिस्सा निहित है । उक्त आराजी रामा जी चमार की थी उनके मन्ना, गणपत व रामचन्द्र तीन लडके थे और रामा की मृत्यु के बाद तीनों के संभाग से दर्ज हो गयी किन्तु सेटलमेंट से मिलीभगत कर प्रतिवादी कम 04 ने खसरा नम्बर 265 की 2.31 हैक्टर आराजी जो गत खसरा नम्बर 191 से बनाये गये हैं अपने नाम दर्ज करवा ली एवं आराजी खसरा नम्बर 273 की 0.91 हैक्टर जो वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 से 3 के संयुक्त खाते का ही नम्बर है को भी प्रतिवादी कम 04 ने अपने खाते दर्ज करवा लिया । इसी प्रकार खसरा नम्बर 553 रकबा 1.36 हैक्टर प्रतिवादी कम 05 ने एवं खसरा नम्बर 554 रकबा 1.06 हैक्टर प्रतिवादी कम 06 लगायत 08 ने अपने खाते दर्ज करवा लिया । सेटलमेंट को इस प्रकार का इन्द्राज करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था । प्रतिवादी कम 04 लगायत 08 ने वादीगण के खाते एवं कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 191 व 335 जिसके नये नम्बर 265, 553, 554, 273 व 266 बनाये गये हैं जो सेटलमेंट के बाद वादी एवं प्रतिवादी कम 01 से 03 के खाते ही दर्ज होना चाहिए थी क्योंकि सेटलमेंट से पूर्व वादी एवं प्रतिवादी कम 1 से 3 के दादा रामा की मृत्यु हो जाने से वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 से 3 के पिता गणपत, मन्ना व रामचन्द्र के खाते दर्ज हो गई थी ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिकी पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 से 3 को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण कम 4 लगायत 8 के खाते के हटाकर वादीगण व प्रतिवादी कम 1 से 3 के खाते में दर्ज की जावे इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती व अमल दरामद किया जावे तथा भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा पृथक–पृथक विधिवत विभाजन करके 1/3 हिस्सा वादीगण के खाते तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी कम 01 के तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी कम 2 व 3 के पृथक खाते दर्ज किया जावे तथा पृथक–पृथक लगान राज कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा मौके पर पक्षकारों को पृथक–पृथक काबिज कराया जाकर पत्थरगढी करायी जावे । प्रतिवादीगण कम 04 से 8 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि राजस्व रिकॉर्ड में सेटलमेंट द्वारा किये गये गलत इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द व अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे न ही वादीगण व प्रतिवादी कम 1 से 3 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण कम 04 से 8 करें और न ही अपने प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादीगण कम 4 लगायत 08 ने जवाबदावा पेश कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. तत्पश्चात् प्रतिवादी कम 7 व 8 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी व धारा 15 भारतीय साक्ष्य अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद बाबत् घोषणा और विभाजन का यह कथन करते हुए पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी

सेटलमेंट के दौरान प्रतिवादीगण कम 04 से 08 ने अपने नाम खाते दर्ज करवा ली है । अतः राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करते हुए वादग्रस्त आराजी वापस वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 से 3 के नाम खाते में दर्ज की जावे । वादीगण द्वारा उक्त वाद तथ्यों को छुपाते हुए पेश किया है । वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी कम 1 से 3 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्रों से बेचान की जा चुकी है । उक्त विकय पत्रों के आधार पर केतागण उक्त भूमियों पर काबिज काश्त हैं । ऐसी स्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 से 3 धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत करने से कानूनन एस्टोप्ड है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त कारणों के आधार पर दावा वादी प्राथमिक स्तर पर खारिज फरमाया जावे ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिकी दिनांक 03.02.2014 के द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी व धारा 15 भारतीय साक्ष्य अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 03.02.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 से 3 के संयुक्त खाते में दर्ज थी और गत सेटलमेंट में उक्त आराजी पुश्तैनी आराजी के रूप में वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 से 3 के संयुक्त खाते में संभाग से दर्ज रिकॉर्ड थी और जाति लश्करी (चमार) दर्ज रिकॉर्ड है । चमार अनुसूचित जाति में आते हैं और अनुसूचित जाति की भूमि सवर्ण व्यक्ति द्वारा कय नहीं की जा सकती । वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी थी और पुश्तैनी आराजी को बिना विधिक विभाजन के कोई भी व्यक्ति विकय नहीं कर सकता है । उक्त आराजी में वादीगण मन्ना के पौत्र होने के नाते उनका पैदाइशी हक निहित था जो अपना हिस्सा सम्पूर्ण आराजी में प्राप्त कराने के अधिकारी हैं । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश कर दिया था और दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम हो गयी थी उनके बाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के आधार पर वाद खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय में जो विकय पत्र पेश किये गये हैं उनमें विकेता की कोई जाति अंकित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिकी पारित की है वह त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 03.02.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी कम 7 और 8 के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत पेश किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दावा वादी खारिज करने में त्रुटि की है । आराजी खसरा नम्बर 191 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 335 रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा कुल 02 किता की रकबा 39 बीघा 02 बिस्वा भूमि वाके ग्राम रंगतलाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है । उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 से 3 के संयुक्त खाते में दर्ज थी और जाति लश्करी (चमार) अंकित है । चमार अनुसूचित जाति में आते हैं जिनकी आराजी सवर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा कय नहीं की जा सकती । पुश्तैनी आराजी को बिना विधिक

विभाजन किये बेचान नहीं किया जा सकता । वादीगण मन्ना के पौत्र हैं आराजी पैतृक है जिसमें जन्म से ही वादीगण को अधिकार प्राप्त है । दावे जवाबदावे के उपरान्त तनकीयात कायम कर निर्णय पारित करना चाहिए था । यदि विक्रय है तो भी धारा 42 बी के उल्लंघन में है । मथुरालाल के द्वारा जो रजिस्ट्री सन् 1964 की पेश की गई है उसमें गणपत, रामचन्द्र और मान्या की कोई जाति अंकित नहीं है । मथुरा के द्वारा जाति को छुपाकर रजिस्ट्री करवायी गई है । नामान्तरकरण 1973 में मथुरा के पक्ष में गलत खोला गया है । मान्या की मृत्यु के बाद मोतीलाल, भंवर लाल एवं फूलचन्द पुत्र मान्या दर्ज हुए हैं । फूलचन्द नाबालिंग है इनके विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हैं । नामान्तरकरण धारा 42 बी के उल्लंघन में है । मामले की पुनः सुनवाई के उपरान्त सीपीसी की पालना कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था क्योंकि वादकारण Mixed Question of facts and law है जिसको साक्ष्य के उपरान्त ही तय किया जा सकता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.02.2014 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2002 पेज 702, डीएनजे 2013 (3) पेज 1219, आरआरटी 1995 पेज 390 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्टगण के द्वारा तथ्यों को छुपाकर दावा पेश किया गया है । रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी कम 7 और 8 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश किया था और यह कथन किया कि वादीगण और प्रतिवादी कम 1 से 3 के द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 365 रकबा 06 बीघा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सन् 1969 में बेचान कर कब्जा संभला दिया था और इस बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 73 केतागण के पक्ष में सन् 1971 में तस्दीक हो चुका है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 335 की 08 बीघा 16 बिस्वा आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सन् 1980 में प्रतिवादी कल 08 को बेचान कर कब्जा संभला दिया और नामान्तरकरण संख्या 288 दिनांक 30.06.1981 केतागण के पक्ष में तस्दीक हो चुका है । इस प्रकार केतागण उक्त वर्णित आराजी पर काबिज काश्त खातेदार हैं । धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत भी वादीगण दावा लाने से एस्टोप्ड हैं । बेचानकर्ता लश्करी जाति के हैं जो अनुसूचित जाति में नहीं आते हैं । सेटलमेंट विभाग के द्वारा आराजी रेस्पोडेन्टगण के खाते में दर्ज नहीं की गई है । तथ्यों को छुपाकर दावा पेश किया गया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से खारिज किया है । विवादित आराजी खसरा नम्बर 191 की रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा और खसरा नम्बर 335 की रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा बताते हुए दावा पेश किया गया है । यह भूमि विक्रय पत्र के माध्यम से बेचान की जा चुकी है । विक्रय पत्र दिनांक 20.05.1964 से रेस्पोडेन्ट कम 04 मथुरा लाल को खसरा नम्बर 191 की 15 बीघा 10 बिस्वा आराजी का बेचान किया गया है । दिनांक 13.05.1969 को रेस्पोडेन्ट कम 6, 7 और 8 को खसरा नम्बर 335 की 06 बीघा आराजी का विक्रय किया गया है । दिनांक 26.07.1980 को रेस्पोडेन्ट कम 05 को खसरा नम्बर 335 की 08 बीघा 16 बिस्वा आराजी का बेचान किया गया है । दिनांक 26.07.1980 को खसरा नम्बर 335 की 08 बीघा 16 बिस्वा का बेचान हीरालाल व अन्य को किया है । ऐसी कोई आराजी नहीं है जिसका विक्रय नहीं किया गया हो । जो विक्रय पत्र निष्पादित किये गये है। उसमें अपीलान्ट की जाति लश्करी अंकित है । राजस्व रिकॉर्ड में भी उनकी जाति लश्करी अंकित है जो कि अनुसूचित जाति में नहीं आती है । सन् 1964 से लेकर सन् 1980 के बीच निष्पादित किये गये पंजीबद्ध विक्रय पत्रों के तथ्यों को छुपाकर सन् 2006 में दावा पेश किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा वादीगण खारिज किया

है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.02.2014 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में 2002 सुप्रीम कोर्ट केसस पेज 501, आरएलडब्ल्यू 2005 पेज 122, डब्ल्यूएलएन 2014 (4) पेज 53, आरआरडी 1998 पेज 610, आरआरडी 1998 पेज 247, आरआरडी 2013 पेज 788, आरआरडी 2013 पेज 189 उद्धरत की । इसके अलावा रेस्पोडेन्ट के द्वारा जिला कलक्टर कोटा के निर्णय दिनांक 17.05.2016 की प्रति भी पेश की है, यह निर्णय सन् 1971 में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 73 को निरस्त कराने के लिए पेश की गई अपील में पारित किया गया है और भंवर लाल एंव फूलचन्द जो कि वादी संख्या 2 और 3 हैं की अपील खारिज की गई है । इसी प्रकार एक अन्य निर्णय द्वारा जिला कलक्टर महोदय, कोटा दिनांक 17.05.2016 की प्रति भी पेश की है यह निर्णय अपील संख्या 112/14 भंवर लाल एवं फूलचन्द जो कि वादी संख्या 02 और 03 हैं के द्वारा पेश की गई अपील में पारित किया गया है जिसमें नामान्तरकरण संख्या 126 दिनांक 19.09.1993 जो कि खसरा नम्बर 191 की रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा के बाबत् खोला गया है को निरस्त कराने के लिए पेश की गई थी । अपील जिला कलक्टर, कोटा के द्वारा खारिज की गई है । साथ ही रेस्पोडेन्ट के द्वारा कुछ विक्रय पत्रों की प्रतियॉ भी पेश की गई हैं इसमें से विक्रय पत्र दिनांक 04 जुलाई, 1980 की प्रति के अनुसार रामनाथ, मोतिया, गणपत, भंवरलाल और फूलचन्द और मोतीलाल के द्वारा खसरा नम्बर 335 की 17 बीघा 12 बिस्वा में से 08 बीघा 16 बिस्वा आराजी का विक्रय रामकरण वल्द गोपीलाल को किया गया है । यह विक्रय सन् 1980 में पंजीबद्ध हुआ है । नामान्तरकरण संख्या 228 की प्रति भी पेश की गई है जो सन् 1988 में खोला गया है । यह विक्रय पत्र वादी संख्या 1, 2, 3 ने भी निष्पादित किया है और उनके द्वारा उनकी जाति लश्करी बताई गई है और तीनों बालिंग हैं । एक अन्य विक्रय पत्र जो कि सन् 1969 में पंजीबद्ध हुआ है की प्रति भी पेश की गई है जो कि रामचन्द्र, गणपत व मोती के द्वारा खसरा नम्बर 335 की आराजी में से 06 बीघा आराजी का विक्रय करने के लिए निष्पादित किया गया है । इसमें भी उनकी जाति लश्करी बताई गयी है । एक अन्य विक्रय पत्र जो कि सन् 1964 में पंजीबद्ध हुआ है यह गणपत व मान्या और रामचन्द्र के द्वारा खसरा नम्बर 191 की 15 बीघा 10 बिस्वा आराजी के लिए निष्पादित किया गया है ।

11. रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

12. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में जिला कलक्टर, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.05.2016 प्रकरण संख्या 111/2014 की फोटो प्रति हैं जो शामिल मिसल किये गये ।

13. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद ग्राम रंगतालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 191 की रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 335 की रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा कुल 02 किता की 39 बीघा 02 बिस्वा के सम्बन्ध में पेश किया है और यह कथन किया है कि सेटलमेंट से मिलीभगत करके प्रतिवादी कम 04 ने आराजी खसरा नम्बर 265 की 2.31 हैक्टर जो कि गत खसरा नम्बर 191 से बने हैं अपने नाम दर्ज करवा लिया है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 273 की रकबा 0.91 हैक्टर प्रतिवादी कम 04 ने अपने नाम दर्ज करवा ली है और

खसरा नम्बर 553 रकबा 1.36 हैक्टर प्रतिवादी कम 05 ने अपने नाम दर्ज करवा ली है और खसरा नम्बर 554 की रकबा 1.06 हैक्टर भूमि प्रतिवादी कम 06 लगायत 08 ने अपने नाम दर्ज करवा ली है । दावे की मद संख्या 03 में वादीगण ने स्वयं को अनुसूचित जाति का सदस्य बताया है । दावे में जवाबदावा पेश किया गया था एवं प्रतिवादी कम 07 और 08 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश किया था ।

14. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2056–59 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 204 में खसरा नम्बर 553 की रकबा 1.36 हैक्टर भूमि रामकरण पुत्र गोपीलाल प्रतिवादी कम 5 के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2056–59 नया खाता संख्या 116 में खसरा नम्बर 554 रकबा 1.06 हैक्टर भूमि नाथूलाल, सुखदेव, रामकरण पिसरान गोपाल प्रतिवादी कम 06 से 08 के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2056–59 नया खाता संख्या 161 में खसरा नम्बर 265 रकबा 2.31 एवं खसरा नम्बर 273 रकबा 0.91 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 3.22 हैक्टर भूमि मथुरालाल पुत्र देवलाल प्रतिवादी कम 04 के खाते में दर्ज है । इसके अलावा नकल जमाबन्दी संवत् 2022–25 संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बरान की कुल 02 किता की 39 बीघा 02 बिस्वा भूमि गणपत, मन्ना, रामचन्द्र पिसरान रामा कौम लश्करी (चमार) के खाते में दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत् 2013–16 संलग्न है जिसके अनुसार 04 किता की 38 बीघा 07 बिस्वा भूमि गणपत, मन्ना, रामचन्द्र बेटे रामा जाति लश्करी के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2030–33 नया खाता संख्या 30 में खसरा नम्बर 335 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा भूमि गणपत, रामचन्द्र, बेटे रामा, मोतीलाल, भंवरलाल, फूलचन्द बेटे मन्ना एवं अन्य जाति लश्करी के खाते में दर्ज है । नामान्तरकरण संख्या 126 की प्रमाणित प्रति एवं खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतियॉ भी पेश की गई हैं ।

15. इसके अलावा पत्रावली पर विक्रय पत्र दिनांक 20.05.1964 की फोटो प्रति एवं कुछ रसीदों की फोटो प्रति भी पेश की हैं । विक्रय पत्र 13.05.69 की प्रमाणित प्रति एवं नामान्तरकरण संख्या 73 की प्रमाणित प्रति, विक्रय पत्र दिनांक 04.07.1980 की फोटो प्रति, नामान्तरकण संख्या 228 की प्रमाणित प्रति, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति भी पेश की गई हैं । न्यायालय सहायक कलक्टर के निर्णय दिनांक 03.12.84 के निर्णय की प्रति पेश की गई है ।

16. वादीगण के द्वारा यह कथन करते हुए दावा पेश किया गया है कि उनके खाते की आराजी सेटलमेंट विभाग के द्वारा गलत रूप से प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज की गई है । इस कारण उन्हें वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जावे जबकि जो विक्रय पत्रों की प्रतियॉ पेश की गई हैं उनके अनुसार यह आराजी वादीगण के द्वारा अलग–अलग विक्रय पत्रों दिनांक 20.05.1964, दिनांक 13.05.1969 एवं दिनांक 26.07.1980 से बेचान की जा चुकी हैं । बेचान के तथ्यों को छुपाकर दावा पेश किया है । वादीगण क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं इस कारण न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि विक्रय पत्र दिनांक 26.07.1980 वादीगण मोती लाल, फूलचन्द और भंवर लाल ने भी बहैसियत विक्रेता निष्पादित किया है और अपनी जाति लश्करी बताई है तीनों ही वादीगण इन विक्रय पत्रों में वयस्क दर्ज किये गये हैं । इस विक्रय पत्र के अनुसार खसरा नम्बर 335 की 17 बीघा 12 बिस्वा में से 08 बीघा 16 बिस्वा आराजी का विक्रय रामकरण वल्द गोपीलाल प्रतिवादी कम 05 को किया गया है । सन् 1980 में स्वयं वादीगण ने इस आराजी का विक्रय किया है और इन तथ्यों को छुपाकर उनके द्वारा यह कथन करते हुए दावा पेश किया है कि

सेटलमेंट विभाग ने गलत रूप से आराजी प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज की है जो कि उचित नहीं है । इसके अलावा विक्रय पत्र दिनांक 13.05.1969 रामचन्द्र, गणपत व मोतीलाल के द्वारा निष्पादित किया गया है इनमें भी जाति लश्करी अंकित की गई है और मोतीलाल ने वादी संख्या 01 के रूप में वाद पेश किया है । जहॉ तक वादीगण की जाति का प्रश्न है पत्रावली पर पेश किये गये राजस्व रिकॉर्ड में सबसे पहले का राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी संवत् 2013–16 की है जिसमें गणपत, मन्ना, रामचन्द्र बेटे रामा की जाति लश्करी अंकित की गई है और लश्करी अनुसूचित जाति में नहीं आती है ।

17. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण के द्वारा जिला कलक्टर, कोटा के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 126 दिनांक 19.09.1973 के खिलाफ अपील संख्या 112/2014 एवं नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 07.04.1971 के खिलाफ अपील संख्या 111/2014 पेश की थीं और यह दोनों ही अपीलें जिला कलक्टर, कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.05.2016 से खारिज की जा चुकी हैं । वादीगण के द्वारा जिस आराजी का विक्रय सन् 1964 से लेकर सन् 1980 के बीच में किया जा चुका है उन तथ्यों को छुपाकर सन् 2006 में वादीगण ने यह कथन करते हुए वाद पेश किया है कि सेटलमेंट विभाग ने गलत रूप से आराजी प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज की है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपील में अपीलान्टगण के द्वारा पहले एक प्रार्थना पत्र पेश कर रेस्पोडेन्ट कम 14 से 16 को पक्षकार बनने की प्रार्थना की थी और बाद में इनके खिलाफ क्लेम का परित्याग करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जबकि रेस्पोडेन्ट कम 14 लगायत 16 भी अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं वरन् सवर्ण हैं । इनको पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र यह कथन करते हुए पेश किया है कि अनुसूचित जाति के द्वारा सवर्ण के पक्ष में बेचान है जो कि धारा 42 बी के उल्लंघन में है । अतः इनको बहैसियत रेस्पोडेन्ट कम 14 लगायत 16 पक्षकार बनाया जावे । इस न्यायालय के द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है और बाद में इनके द्वारा दिनांक 17.05.2019 को प्रार्थना पत्र पेश कर उनके खिलाफ अपने क्लेम का परित्याग किया है । अपीलान्टगण ने एक तरफा प्रार्थना पत्र पेश कर उनको पक्षकार बनवाया है और बाद में उनके विरूद्ध अपने क्लेम का परित्याग किया है जो उनके आचरण को दर्शाता है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रतिवादीगण कम 7 एवं 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर दावा वादीगण खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं । 2002 सुप्रीम कोर्ट केसस पेज 501, आरएलडब्ल्यू 2005 पेज 122, डब्ल्यूएलएन 2014 (4) पेज 53 यहॉ चस्पा होती हैं ।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.02.2014 बहाल रखा जाता है ।

19. निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13.11.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 14/67

1. भंवर लाल पुत्र मन्ना जाति चमार ।
2. फूल चन्द पुत्र मन्ना जाति चमार निवासीगण ग्राम रंगतलाब हाल सोगरिया (छोटा) तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. रामनाथ पुत्र गणपत जाति चमार निवासी छोटा सोगरिया ।
2. चुन्नी लाल पुत्र रामचन्द्र जाति चमार ।
3. ओम प्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति चमार निवासीगण छोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. मथुरा लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   - 4/1. सत्यनारायण पुत्र स्व0 मथुरा लाल ।
   - 4/2. घींसी बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल ।
   - 4/3. मढी बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल ।
   - 4/4. कान्ति बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल ।
   - 4/5. कंचन बाई उर्फ भंवरी बेवा स्व0 मथुरा लाल ।
   - 4/6. मोहनी बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल ।
   - 4/7. विमला बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल जाति धाकड निवासीगण रंगतलाब उर्फ काला तलाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. रामकरण पुत्र गोपीलाल जाति माली निवासी ग्राम अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. नाथू लाल पुत्र गोपाल जाति माली निवासी अर्जुनपुरा ।
7. सुखदेव पुत्र गोपाल जाति माली निवासी अर्जुनपुरा ।
8. रामकरण पुत्र गोपाल जाति माली निवासी अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. मोती लाल पुत्र मन्ना जाति चमार निवासी ग्राम रंगतलाब हाल छोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा (नाम तर्क) ।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.02.2014 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा ।

1. मेती लाल आत्मज मन्ना जाति चमार ।
2. भंवर लाल पुत्र मन्ना जाति चमार ।
3. फूल चन्द पुत्र मन्ना जाति चमार निवासीगण ग्राम रंगतलाब हाल सोगरिया (छोटा) तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. रामनाथ पुत्र गणपत जाति चमार निवासी छोटा सोगरिया ।
2. चुन्नी लाल पुत्र रामचन्द्र जाति चमार ।
3. ओम प्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति चमार निवासीगण छोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. मथुरा लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   4/1. सत्यनारायण पुत्र स्व0 मथुरा लाल ।
   4/2. घींसी बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल ।
   4/3. मढी बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल ।
   4/4. कान्ति बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल ।
   4/5. कंचन बाई उर्फ भंवरी बेवा स्व0 मथुरा लाल ।
   4/6. मोहनी बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल ।
   4/7. विमला बाई पुत्री स्व0 मथुरा लाल जाति धाकड निवासीगण रंगतलाब उर्फ काला तलाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. रामकरण पुत्र गोपीलाल जाति माली निवासी ग्राम अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. नाथू लाल पुत्र गोपाल जाति माली निवासी अर्जुनपुरा ।
7. सुखदेव पुत्र गोपाल जाति माली निवासी अर्जुनपुरा ।
8. रामकरण पुत्र गोपाल जाति माली निवासी अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.02.2014 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

अपील तारीख 13.11.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री भगवती बल्लभ शर्मा रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र सिंह राजावत के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.02.2014 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 13.11.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर.

13.11.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा